परमजीत कौर बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 152/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :–जीतू कुलहरी आर.ए.एस.
अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या– 152/2023

परमजीत कौर पुत्री श्री उजागर सिंह पत्नी बलवीर सिंह निवासी वार्ड नम्बर 15, करनपुर रोड, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

––प्रार्थी

–:: बनाम ::–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: उपस्थिति ::–

1. श्री पृथ्वीराज अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. पैरोकार राज – – अप्रार्थी

– :: आदेश ::–

दिनांक :–22.03.2024

प्राथी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीया वार्ड नम्बर 13, करनपुर रोड, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर की स्थायी निवासी है एवं प्रार्थीया के पास चक 23 एम एल, लठ्ठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 162/5 जमाबंदी सम्वत 2073 – 2076 के पत्थर नम्बर 0 मुरब्बा नम्बर 3 व 53 में कुल 0.692 हैक्टेय कमांड/अनकमांड कृषि भूमि प्रार्थीया कानी पुत्री उजागर सिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीया की शादी श्रीगंगानगर में हुई एवं विवाह से पूर्व प्रार्थीया का नाम घर में कानी था एवं घर में कानी नाम से ही बुलाया जाता था एवं कंही पर परमजीत कौर बुलाया जाता था जब उक्त जमीन में विरासतन नाम दर्ज हुआ तो उसमें उनके घर का नाम कानी ही जमीन की जमाबन्दी में दर्ज कर दिया गया। आज भी जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम कानी ही चला आ रहा है। प्रार्थीया के सभी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता में परमजीत कौर नाम दर्ज है जबकि कानी एवं परमजीत कौर प्राथीया के नाम ही है, इस कारण रिकार्ड में कानी के स्थान पर परमजीत कौर दर्ज किया जाये । ग्रांम पंचायत लटठावाली (9 एम एल) के द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है उसमें भी यह दर्ज किया गया है कि प्रार्थीया को दोनों नामों से पुकारा जाता [illegible] इस कारण से उक्त चक की जमाबंदी में कानी के स्थान [illegible] कौर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे। प्रार्थीया अब वार्ड [illegible] श्रीगंगानगर में निवास करती आ रही है एवं पार्षद महोदया वार्ड [illegible] श्रीगंगानगर द्वारा भी अपने द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 23.04.2023 में भी यह लिखित दर्ज किया है कि कानी एवं परमजीत कौर दोनों नाम प्रार्थीया के है। प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:32:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है । लिहाजा प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर मजीत कौर निवेदन है कि चक 23 एम एल लड्डावाली के खाता संख्या 162/5 सम्वत् जमाबंदी 2073–2076 के पत्थर नं. 0, मुरब्बा नं.3 एवं 53 कुल 0.692 हैक्टयर कमान्ड/अनकमान्ड कृषि भूमि की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम कानी के स्थान पर परमजीत कौर अंकित किया जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

वकील प्रार्थी एंवं प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं राज पैरोकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनी रिपोर्ट कमांक 347 दिनांक 24.01.2024 कानी पुत्री उजागर सिंह व परमजीत कौर एक ही व्यक्ति होने की अनुशंषा की गई है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 23 एम एल लड्डावाली के खाता संख्या 162/5 सम्वत् जमाबंदी 2073–2076 के पत्थर नं. 0, मुरब्बा नं. 3 एवं 53 कुल 0.692 हैक्टयर कमान्ड/अनकमान्ड कृषि भूमि की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम कानी के स्थान पर परमजीत कौर दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को वास्ते राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने बाबत प्रेषित हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:32:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner